-1-

C.F. 12-6-12

न्यायालय माननीय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0राजस्व मंण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प, भोपाल

प्रकरण कमॉक /2011–12

1– कमल सिंह पुत्र शंकर सिंह R. 1478-PBR/12

2– गुलाब सिंह पुत्र कमल सिंह

3– बलबीर सिह पुत्र कमल सिह

समस्त जाति यादव निवासी–ग्राम

पाटन तहसील सिरोंज जिला विदिशा...............................आवेदकगण

विरूद्ध

श्री अनोज गुप्ता अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 9-5-12 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 9-5-12

1– प्रेमनारायण पुत्र धीरज सिंह

जाति यादव निवासी–ग्राम

पाटन तहसील सिरोंज जिला विदिशा

2– धीरज सिंह पुत्र मजबूत सिंह

जाति यादव निवासी–ग्राम

पाटन तहसील सिरोंज जिला विदिशा ....अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के द्वारा उनके प्रकरण कमॉक–अपील–117/ए/2010–2011 में पारित आदेश दिनॉक–11–04–2012 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलॉट ने भूमि खसरा कमॉक–215 रकबा 2.530 हेक्टैयर भूमि स्थित कस्बा सिरोंज जिला विदिशा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनॉक 10/5/87 को रेस्पॉडैन्ट कमॉक–2 जो कि रेस्पॉडैन्ट कमॉक–1 का पिता एवं प्रकृतिक संरक्षक था के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। विकय पत्र निष्पादन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1478–पीबीआर/12 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकों द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक अपील 117/ए/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 11–4–12 के विरूद्ध प्रम0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया है के विरूद्ध पेश की गई है । निगरानी आवेदन के साथ अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अतिरिक्त अन्य आदेश पत्रिकाओं की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं । जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश के उपरांत प्रकरण में दिनांक 16–4–12 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया तथा दिनांक 23–4–12 को उभयपक्षों के तर्क सुने जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 30–4–12 को पारित किया जा चुका है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर एवं तदुपरांत अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो गई है और उस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	